पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-5

12 फाल्गुन, 1933 (श०)

शुक्रवार, ———————————

02 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—06

(1) स्वास्थ्य विभाग	..	..	05
(2) उर्जा विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	06

उत्क्रमित करना

25. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में बिहार के 136 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमण हेतु स्वीकृति आदेश संख्या 924, दिनांक 20 फरवरी, 2009, 31 मार्च, 2009 एवं राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1098, दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के आलोक में प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 203.27 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य के 38 जिलों के 201 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमित करने हेतु 3,39,90,02,600 रु० की स्वीकृति दी गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि अबतक एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उत्क्रमित नहीं किया गया, न ही राशि खर्च की गई है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में उत्क्रमित नहीं करने तथा राशि खर्च नहीं करने का औचित्य क्या है ?

फ्यूल सरचार्ज हटाना

26. डॉ० इजहार अहमद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "आखिर कबतक देना पड़ेगा बिजली का फ्यूल सरचार्ज" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिजली बिल में गड़बड़ी मीटर रीडर करते हैं, परन्तु उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मीटर रीडर की गड़बड़ी के कारण आम विद्युत् उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज मद में अनावश्यक एवं अनियमित भुगतान करना पड़ता है;

(3) क्या यह बात सही है कि विद्युत् आम उपभोक्ता जब इसकी शिकायत लेकर पेसू में जाते हैं तो वहां भी उन्हें बार-बार दौड़ाया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनावश्यक फ्यूल सरचार्ज को हटाने एवं गलत मीटर रीडर के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

27. श्री राहुल कुमार--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजकीय यूनानी तिब्बी कॉलेज, पटना में टीचिंग फैकल्टी के लिये सी०सी०आई०एम०, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर की अर्हता निर्धारित है परन्तु विभागीय पत्रांक 16/यू 1-04-2008-403 (दे०चौ०), दिनांक 14 जुलाई, 2008 द्वारा टीचिंग फैकल्टी के पद पर स्नातकोत्तर डिग्री की उपेक्षा कर स्नातकोत्तीर्ण को पदस्थापित कर दिया गया है जिसके कारण सी०सी०आई०एम०, नई दिल्ली द्वारा राजकीय यूनानी तिब्बी कॉलेज, पटना की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी अगस्त, 2011 में दी गयी है, यदि हां, तो क्या सरकार स्नातकोत्तर डिग्रीधारी व्यक्ति को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देना

28. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 9 मार्च, 2009 को राज्य के पेन्शन भोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा गया था एवं इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा 27 सितम्बर, 2009 को दी गई थी, यदि हां, तो उक्त स्वीकृति के आलोक में अबतक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

कमियों को दूर करना

29. श्री अख्तरूल ईमान--दिनांक 12 फरवरी, 2012 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक " कब बनेगा मेडिकल कॉलेज" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में तीन नये मेडिकल कॉलेज अस्पताल यथा-मधेपुरा, बेतिया एवं पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना के लिए वर्ष 2007 में स्वीकृति देते हुए 1804 करोड़ रुपया राशि भी आवंटित कर दिया गया है जिसमें प्रत्येक वर्ष 100-100 एम०बी०बी०एस० छात्रों का नामांकन का प्रस्ताव है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों कॉलेज अस्पतालों का निरीक्षण एम०सी०आई० द्वारा वर्ष 2008 एवं 2009 में कराया गया किन्तु उसमें बुनियादी संरचना जैसे भवन, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी इत्यादि की कमियों के कारण किसी भी कॉलेज में एम०बी०बी०एस० कोर्स आरम्भ करने की अनुमति नहीं मिल सकी है, यदि हां, तो सरकार वर्णित कमियों को दूर कर कबतक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जांच कराना

30. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "खतरा बना बायोमेडिकल वेस्ट" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट खुले स्थानों एवं नालों में फेंका जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बायोमेडिकल वेस्ट के खुले में बिना नष्ट किए हुए फेंकने से कई तरह की गम्भीर बीमारियों का प्रकोप होता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने वाले अस्पतालों की जांच कराकर उनपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 2 मार्च, 2012 (ई०)।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 119-डी०टी०पी०--450